

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 15938/2022

1. मनीष चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री नारायण सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी बी-527, मालवीय नगर, जयपुर।
2. मनीष प्रेमचंदानी पुत्र श्री अशोक कुमार प्रेमचंदानी , उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी 85/330, प्रताप नगर, सांगानेर , जयपुर।
3. गोपाल सिंह राणावत पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह राणावत , उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी राजपूत मोहल्ला बारला पोलिया उच्चा भीलवाड़ा , राजस्थान.
4. शालिनी भारद्वाज पुत्री श्री निर्मल कुमार भारद्वाज, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 61, पवनपुरी ईस्ट चरा नाडी बेनाड रोड, मुरलीपुरा , जयपुर।
5. कुलदीप पाराशर पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी 41, चारभुजा मंदिर के पास, बड़ा बाजार, तहसील निवाई , जिला टोंक .

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
3. अध्यक्ष/प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर (राजस्थान)
4. निदेशक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर (राजस्थान)
5. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर अपने सचिव के माध्यम से ।
6. नरेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र श्री बाबूलाल गौड़, वर्तमान में कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर कार्यालय में कार्यरत।
7. सुरेश कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार, वर्तमान में क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन श्रीगंगानगर विभाग, संभाग कार्यालय में कार्यरत हैं।
8. सागर सोनी पुत्र श्री गिरिराज प्रसाद सोनी , वर्तमान में कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर के कार्यालय में कार्यरत हैं।
9. कपिल शर्मा पुत्र श्री मुकेश चंद शर्मा, वर्तमान में कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर के कार्यालय में कार्यरत हैं।

10. अरविंद कुमार शर्मा पुत्र श्री कैलाश चंद शर्मा, वर्तमान में कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर के कार्यालय में कार्यरत हैं।
11. राकेश पुत्र रणवीर सिंह, वर्तमान में क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालय, कृषि विपणन विभाग, संभाग हनुमानगढ़ में कार्यरत ।
12. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह, वर्तमान में क्षेत्रीय उपनिदेशक कार्यालय, कृषि विपणन विभाग, संभाग बीकानेर में कार्यरत।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री अरुण शर्मा
 प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री संदीप तनेजा , एएजी
 श्री आरके माथुर , सीनियर एडवोकेट, श्री हेमंत
 टेलर द्वारा सहायता प्राप्त
 श्री वेद प्रकाश सोगरवाल
 श्री अजय प्रताप सिंह, डिप्टी जीसी
 श्री मिर्जा फैसल बेग

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

समाचार-योग्य

आरक्षित

घोषित

23.05.2024

07.08.2024

1. वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:

“क) दिनांक 20.07.2021 के विज्ञापन में विज्ञापित विभागीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार न करके प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की कार्रवाई को अवैध, मनमाना और कानून के तहत प्रदान किए गए वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध घोषित करें;

ख) प्रतिवादी संख्या 6 से 12 की उम्मीदवारी को अवैध, मनमाना और कानून के तहत प्रदान किए गए वैधानिक प्रावधानों के विपरीत घोषित करें और दिनांक 20.07.2021 के विज्ञापन में विभागीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 6 से 12 की उम्मीदवारी को रद्द करें और रद्द करें;

ग) प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को दिनांक 20.07.2021 के विज्ञापन में विज्ञापित विभागीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दें और याचिकाकर्ताओं को दिनांक 20.07.2021 के विज्ञापन में विभागीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध नियुक्ति करने के लिए सफल उम्मीदवार घोषित करें;

घ) कोई अन्य आदेश जिसे माननीय न्यायाधीश उचित और उचित समझें, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और न्याय के हित में पारित किया जा सकता है।

2. मामले का सार यह है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने दिनांक 20.07.2021 के विज्ञापन (अनुलग्नक-1) के माध्यम से राजस्थान राज्य एवं सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 (इसके बाद 1999 के नियम के रूप में संदर्भित) के तहत गैर-टीएसपी (सामान्य) क्षेत्र श्रेणी के तहत कर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। यह भर्ती राज्य सेवाओं और अधीनस्थ सेवाओं सहित 988 पदों को खुले बाजार से सीधी भर्ती के लिए और प्रतिवादी विभाग में पहले से कार्यरत विभागीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के लिए थी। उक्त विज्ञापन के अनुसरण में, याचिकाकर्ता जो राजस्थान कृषि सेवाओं से संबंधित थे और प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के निर्देशों के तहत विभिन्न कृषि विपणन यार्डों में सेवा दे रहे थे, ने अधीनस्थ सेवाओं की श्रेणी (क्रम संख्या 14 में उल्लिखित) के तहत आवेदन किया था। उक्त श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान कृषि सेवा (कनिष्ठ विपणन अधिकारी) के लिए 8 पद थे। हालांकि, जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर की कुल रिक्तियों में से 12.5% पद कृषि उपज मंडी समितियों के विभाग के मूल अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए गए थे।

3. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया था कि उक्त विज्ञापन के परिणामस्वरूप, प्रारंभिक परीक्षा 27.10.2021 को आयोजित की गई थी और उसका परिणाम 19.11.2021 को घोषित किया गया था (अनुलग्नक-2)। याचिकाकर्ताओं ने उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद, योग्य उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा 20.03.2022 और 21.03.2022 को निर्धारित की गई थी और उसका परिणाम 30.08.2022 को घोषित किया गया था (अनुलग्नक-4)। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची में अपना नाम दर्ज कराने में विफल रहे; हालांकि, निजी प्रतिवादियों को सफल घोषित किया गया और उसके बाद उन्हें नियुक्त किया गया। यह उल्लेख करना उचित है कि निजी प्रतिवादियों को 04.06.2020 को कनिष्ठ सहायक (परिवीक्षा-प्रशिक्षु) के रूप में नियुक्त किया गया था और कनिष्ठ सहायक के रूप में उनकी सेवा 08.06.2022 को पुष्टि की गई थी।

4. इस समय, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 20.07.2021 के विज्ञापन की शर्तों का हवाला देते हुए कहा कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभागीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के लिए अपेक्षित मानदंड न्यूनतम पाँच वर्ष का

निरंतर सेवा अनुभव है, चाहे वह स्थानापन्न हो या मौलिक (1 जनवरी, 2022 तक)। इसके अलावा, 1999 के नियमों के नियम 4, अनुसूची- I और अनुसूची- II के अनुसार, जिसमें अन्य आवश्यक आदेश दिए गए थे, निजी प्रतिवादी पाँच वर्ष के अनुभव की उक्त आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहे हैं, जबकि याचिकाकर्ता विधिवत पात्र हैं। इसलिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माथुर और विद्वान एएजी श्री तनेजा ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का कड़ा विरोध किया और उक्त विज्ञापन के विशेष नोट (3) की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। उपर्युक्त विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त विज्ञापन के लेखक का स्पष्ट आशय यह था कि अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों पर 01 जनवरी, 2022 को 05 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अभ्यर्थी ही पात्र होंगे; केवल राजस्थान सरकार, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कर्मचारी ही पात्र होंगे। राजस्थान की सभी कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारी संबंधित संवर्ग में पात्र माने जाएँगे। हालाँकि, याचिकाकर्ता कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 के अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारी थे। अतः, उक्त अभ्यर्थिता को अराजपत्रित कर्मचारी की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

6. इसके अलावा, उक्त विज्ञापन में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कनिष्ठ विपणन अधिकारी के पद पर भर्ती 1999 के नियमों के अनुसार की जाएगी। इसके साथ ही, निजी प्रतिवादियों की नियुक्ति की पुष्टि के लिए, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 (जिन्हें आगे 2001 के नियम कहा जाएगा) में प्रख्यापित 'मूल नियुक्ति' की परिभाषा पर भरोसा किया था। संबंधित प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत हैं:

“नियम 3: परिभाषाएँ :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(एम) "मौलिक नियुक्ति" से इन नियमों के प्रावधानों के तहत किसी मौलिक रिक्ति पर इन नियमों के तहत निर्धारित भर्ती के किसी भी तरीके से चयन के बाद की गई नियुक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति शामिल है, जिसके बाद परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर स्थायीकरण किया जाता है।

टिप्पणी:- इन नियमों के अधीन निर्धारित भर्ती की किसी भी पद्धति द्वारा सम्यक् चयन में, तत्काल अस्थायी नियुक्ति को छोड़कर, सेवा के प्रारंभिक गठन पर या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किसी नियम के उपबंधों के अनुसार भर्ती शामिल होगी।

(एन) "सेवा" या "अनुभव" जहां भी इन नियमों में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में या वरिष्ठ पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है, उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्र निचले पद पर बैठे व्यक्ति के मामले में वह अवधि शामिल होगी जिसके लिए व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रख्यापित नियमों के अनुसार नियमित चयन के बाद ऐसे निचले पद पर लगातार काम किया है।

नोट :- सेवा के दौरान अनुपस्थिति जैसे प्रशिक्षण, अवकाश और प्रतिनियुक्ति आदि, जिन्हें राजस्थान सेवा नियम, 1951 के तहत 'कर्तव्य' माना जाता है, को भी पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव या सेवा की गणना के लिए सेवा के रूप में गिना जाएगा।

7. इसके अतिरिक्त, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 1999 के नियमों के नियम 4 के प्रावधानों को 2001 के नियमों के नियम 11 के साथ पढ़ा जाए तो स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि उक्त अनुभव केवल राज्य सेवाओं पर लागू होगा, विभागीय सेवा के अभ्यर्थियों पर नहीं।

8. इस मोड़ पर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या **10008/2017**, जिसका शीर्षक लोकेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य है, में निहित अनुपात पर भरोसा जताया था, जिस पर 30.11.2017 को निर्णय हुआ था, और प्रस्तुत किया था कि लोकेन्द्र सिंह (सुप्रा) में दिए गए निर्देशों और टिप्पणियों के अनुपालन में प्रतिवादी-राज्य ने 14.10.2021 को नोटिस जारी किया था। उक्त नोटिस दिनांक 14.10.2021 का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“उपरोक्त विषयान्तरगत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि विभिन्न अधीनस्थ सेवाओं में मन्त्रालयिक कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने की दृष्टि से परिवीक्षाधीन कार्मिक, जो नियमों में विहित प्रक्रिया द्वारा चयनित होकर संस्थाई रिक्ति के विरुद्ध पदस्थपित है, को संस्थाई रूप से नियुक्त कार्मिक माना जायेगा। अतः तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।”

9. इसके अतिरिक्त, निजी प्रतिवादी विभागीय संवर्ग के कर्मचारी थे, जिन्हें कृषि विपणन निदेशालय में 1999 के नियमों के अंतर्गत नियुक्त किया गया था। उन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित लिपिक ग्रेड-II (कनिष्ठ सहायक) संयुक्त भर्ती परीक्षा, 2018 उत्तीर्ण करने के बाद उक्त सेवाएँ आवंटित की गई थीं। इस प्रकार, अराजपत्रित कर्मचारी

राजस्थान कृषि सेवा (कनिष्ठ विपणन अधिकारी) के पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते, विशेषकर अधीनस्थ सेवा में। अतः, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद के लिए पाँच वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, जो राज्य सेवाओं में आवेदन करते हैं, न कि अधीनस्थ सेवा के लिए।

10. इस संबंध में, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने निम्नलिखित अनुपात पर भरोसा जताया था: संजय परिहार बनाम राजस्थान राज्य एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या **8635/2022** और नंद किशोर चौहान बनाम राजस्थान राज्य और अन्य एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या **5516/2019** में रिपोर्ट किए गए।

11. सुना गया और विचार किया गया।

12. अभिलेखों का गहनता से अवलोकन करने, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों, बार में उद्धृत निर्णयों और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय इस समय निम्नलिखित असंदिग्ध तथ्यों को नोट करना उचित समझता है:

12.1 यह कि प्रतिवादियों ने 1999 के नियमों के तहत गैर-टीएसपी (सामान्य) क्षेत्र श्रेणी के तहत कर्मियों की भर्ती के लिए दिनांक 20.07.2021 को एक विज्ञापन जारी किया।

12.2 उक्त विज्ञापन में राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवा, दोनों के उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। हालाँकि, 1999 के नियमों की अनुसूची I और II में स्पष्ट रूप से उन सेवाओं का उल्लेख है जिनके लिए चयन सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा और जिनके लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) आयोजित की जाएगी:

अनुसूची-I

(नियम 4 देखें)

निम्नलिखित राज्य सेवा में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद जिनके लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी:

क्रम संख्या	सेवा का नाम	पद
21	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा	विपणन अधिकारी

अनुसूची-II

(नियम 4 देखें)

क्रम संख्या	सेवा का नाम	पद
14	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें)	कनिष्ठ विपणन अधिकारी

12.3 राज्य सेवा के अभ्यर्थियों के लिए, 1999 के नियमों की अनुसूची-II के अनुसार, अराजपत्रित कर्मचारियों (7% सीटें आरक्षित) और विभागीय/मंत्रालयिक संवर्ग (केवल अधीनस्थ सेवाओं के लिए) अभ्यर्थियों (12.5% सीटें आरक्षित) के संबंध में क्षैतिज आरक्षण लागू है। उक्त विज्ञापन में उल्लिखित एक विशेष टिप्पणी लेखक के आशय को स्पष्ट करती है। संक्षिप्तता के लिए उक्त विज्ञापन नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“विशेष नोट:- (1) केवल टी.एस.पी क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टी.एस.पी क्षेत्र/गैर टी.एस.पी क्षेत्र (सामान्य क्षेत्र) के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये प्राथमिकता क्रम के अनुरूप विचार किया जायेगा। प्राथमिकता क्रम भरे नहीं जाने पर टी.एस.पी क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय होगा।

(2) अधीनस्थ सेवाओं की क्रम संख्या 24, 8, 12 एवं 14 के पदों में से विभागीय कर्मचारियों हेतु पद आरक्षित हैं। अतः इन आरक्षित पदों हेतु सम्बन्धित विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी ही आवेदन करें एवं आवेदन-पत्र के कॉलम में DC (विभागीय कर्मचारी) का उल्लेख अवश्य करते हुए अन्य आवश्यक प्रविष्टि करें अन्यथा (DC) वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। अन्य विभागों में कार्यरत कर्मिक यदि इस वर्ग हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें इस वर्ग (DC) हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

(3) अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आरक्षित पदों के सम्बन्ध में:-

राज्य सेवाओं में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों हेतु राजस्थान सरकार, राजस्थान की पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के राज्य सेवाओं में अराजपत्रित कर्मचारियों को नाते परीक्षा (राज्य सेवाओं में उनके लिए आरक्षित पदों पर) में बैठने हेतु आवेदक को निम्न शर्त पूर्ण करना चाहिए –

अनुभव:- *The candidate must have completed not less than five years of service whether officiating or substantive, on the 1st day of January, 2022.*

नोट :- (1) अभ्यर्थक को दिनांक 01.01.2022 को सेवा का कुल कितना अनुभव प्राप्त होगा, उसकी गणना कर दिन, माह व वर्ष की पूर्ति निर्धारित कॉलम में अवश्य करें।”

2. इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने में, जो अभ्यर्थी “अराजपत्रित कर्मचारी” हैं, वे नियुक्ति के लिए उस क्रम में पात्र होंगे जिसमें उनका नाम सूची में आता है, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनके सापेक्ष अंक कुछ भी हों।

3. यदि आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अराजपत्रित कर्मचारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों तो शेष रिक्तियों को सूची में शामिल अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति करके भरा जाएगा।

12.4 उक्त चयन प्रक्रिया के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान राज्य एवं सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के प्रावधान लागू हैं। 1999 के नियमों का प्रासंगिक नियम अर्थात् नियम 4 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“4. राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा :- **(1)** अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में क्रमशः उल्लिखित राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के पदों पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती को नियंत्रित करने वाले किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाएगी।

बशर्ते कि राज्य सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली उपलब्ध रिक्तियों में से 7% रिक्तियाँ उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी जो सरकार, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अराजपत्रित कर्मचारी हैं। उपरोक्त आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(2) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होने के लिए, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्:

(i) शैक्षिक योग्यताएं :- इन नियमों के नियम 12 में निर्धारित अनुसार।

(ii) आयु :- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद आने वाली 1 जनवरी को उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) अनुभव :- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद आने वाली पहली जनवरी को उसने स्थानापन्न या मौलिक रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने में, जो अभ्यर्थी “अराजपत्रित कर्मचारी” हैं, वे नियुक्ति के लिए उस क्रम में पात्र होंगे जिसमें उनका नाम सूची में आता है, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनके सापेक्ष अंक कुछ भी हों।

(4) यदि आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अराजपत्रित कर्मचारी अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियों को सूची में शामिल अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति करके भरा जाएगा।

12.5 उपर्युक्त प्रावधानों के अतिरिक्त, 1999 के नियमों का नियम 11 स्पष्ट रूप से उस उपयुक्त पद्धति का प्रावधान करता है जिसे भर्ती विभाग अपनाएगा। उक्त प्रावधान के अवलोकन

से स्पष्ट होता है कि परीक्षा के लिए पात्रता उस विशिष्ट सेवा से संबंधित नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मानी जाएगी। उक्त प्रावधान का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“11. परीक्षा में प्रवेश :- (1) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक पदों/सेवाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए वह पात्र है और ऐसे मामले में केवल एक आवेदन और शुल्क का एक भुगतान पर्याप्त होगा। आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु मुख्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुद्रित आवेदन पत्र में उन पदों/सेवाओं के लिए अपनी वरीयता दर्शानी होगी, जिनके लिए वह संबंधित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि पर आवंटन हेतु विचार किया जाना चाहते हैं।

(2) किसी सेवा में किसी विशेष पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता, जिसमें राष्ट्रीयता और प्रशिक्षण से संबंधित कारक भी शामिल हैं, पर उस विशेष सेवा से संबंधित नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(3) जो आवेदन पत्र अपूर्ण पाए जाएंगे और आयोग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार नहीं भरे गए हैं, उन्हें प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया जाएगा। आयोग उन उम्मीदवारों को परीक्षा में अनंतिम रूप से बैठने की अनुमति देगा, जिन्हें उन्होंने प्रवेश प्रमाण पत्र देना उचित समझा। किसी भी उम्मीदवार को तब तक किसी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा प्रदत्त उस परीक्षा में प्रवेश का प्रमाण पत्र न हो। परीक्षा में बैठने से पहले, उम्मीदवार को स्वयं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नियमों में दिए गए अनुसार आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, यदि कोई हो, आदि के संबंध में शर्त को पूरा करता है। परीक्षा देने की अनुमति देने से उम्मीदवार की पात्रता की धारणा का अधिकार नहीं होगा। आयोग बाद में केवल उन उम्मीदवारों के आवेदनों की जांच करेगा जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं और केवल पात्र उम्मीदवारों को ही वाइवा-वॉयस के लिए बुलाएगा, यदि कोई हो।

(4) किसी अभ्यर्थी के किसी परीक्षा में प्रवेश, पात्रता और तत्पश्चात् मौखिक परीक्षा में प्रवेश, यदि कोई हो, के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(5) राज्य सेवाओं और अधीनस्थ सेवाओं में क्रमशः अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में उल्लिखित पदों पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती को नियंत्रित करने वाले किसी नियम में आयु की गणना के बारे में किसी बात के होते हुए भी, आयु की गणना आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक अगले जनवरी के पहले दिन से की जाएगी।

13. उपर्युक्त टिप्पणियों पर विचार करते हुए; दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए कथनों को एक साथ रखते हुए; 1999 के नियमों, 2001 के नियमों और दिनांक

20.07.2021 के विज्ञापन के तहत उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए; और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर व्यापक रूप से विचार करते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों से तत्काल याचिका को खारिज करना उचित समझता है:

13.1 1999 के नियमों के नियम 4 में एक 'इसके बावजूद' खंड है, और उक्त प्रावधान का मात्र अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि राज्य सेवा में उपलब्ध 7% रिक्तियों के लिए भर्ती सीधी भर्ती द्वारा होगी, और केवल सरकार, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित होगी। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के तर्क की संभावना शून्य हो जाती है।

13.2 1999 के नियमों के नियम 4(2) को 2001 के नियमों के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाए तो यह भी स्पष्ट होता है कि जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए पांच पूर्ववर्ती वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य नहीं है।

राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग							
1	2	3	4	5	6	7	8
*1	जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर	@ राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 100%, जिसमें से 12.5% पद कृषि विपणन विभाग के मूल अनुसचिवीय कर्मचारियों और मण्डी समितियों के सहायक सचिवों, पर्यवेक्षकों एवं अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे। किसी विशेष वर्ष में योग्य एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा।		राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 12 में निर्धारित योग्यताएं।			

13.3 लोकेन्द्र सिंह (सुप्रा) में निहित अनुपात में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परिवीक्षा पर कार्यरत उम्मीदवार विभागीय श्रेणी के उम्मीदवारों में नियुक्ति के हकदार हैं, क्योंकि उन्हें संबंधित नियमों के अंतर्गत एक मौलिक रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया है। लोकेन्द्र सिंह (सुप्रा) से संबंधित अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"इस न्यायालय को पता चलता है कि डिवीजन बेंच ने इसी तरह के मुद्दे पर विचार किया था जो रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच में शामिल है। उस मामले में याचिकाकर्ता ने राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के अनुसार आरपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया द्वारा सीधी भर्ती कोटे के तहत लेखाकार / कनिष्ठ लेखा / तहसील राजस्व लेखाकार (टीआरए) के पद के लिए भी भाग लिया था, हालांकि, याचिकाकर्ता का मूल विभाग जहां वह एलडीसी के रूप में काम कर रहा था, ने उसे यह प्रमाण पत्र नहीं दिया कि उसे मौलिक रूप से नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई दलील यह थी कि उनकी नियुक्ति मौलिक थी और याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द करना अवैध था। डिवीजन बेंच ने माना था कि एक कर्मचारी को मौलिक क्षमता में एक पद धारण करने वाला माना जाना चाहिए और यदि किसी व्यक्ति को अस्थायी पद पर भी उचित चयन के बाद नियुक्त किया जाता है, तो यह माना जाना चाहिए कि वह मौलिक क्षमता में पद धारण कर रहा है।

न्यायालय ने पाया कि जिन व्यक्तियों ने वास्तविक रिक्तियों के लिए भर्ती एजेंसी द्वारा उचित चयन के माध्यम से सीधी भर्ती की विधि अपनाई है, उन्हें वास्तविक रूप से नियुक्त नहीं माना जा सकता है और केवल, यदि आवेदन दाखिल करने के समय कोई पुष्टिकरण आदेश जारी नहीं किया गया था, तो ऐसे उम्मीदवारों को सरकारी विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा भरे जाने वाले जूनियर अकाउंटेंट के पद के लिए सीधी भर्ती कोटा के तहत भाग लेने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।

परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएँ सफल होती हैं और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे सीधी भर्ती कोटे में कनिष्ठ लेखाकार के **12.5%** पदों के लिए पात्र याचिकाकर्ताओं को सरकारी विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी के रूप में मानें, जो मूल रूप से उसी संवर्ग में पद धारण कर रहे हों और यदि याचिकाकर्ता योग्यता में पाए जाते हैं और अन्यथा उपयुक्त हैं, तो उनकी नियुक्ति के मामले पर विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा उक्त कार्यवाही इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर की जाएगी।

13.4 प्रतिवादियों ने एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है जिसमें सभी याचिकाकर्ताओं और निजी प्रतिवादियों की योग्यता सूची और अंतिम अंक पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता विभागीय अभ्यर्थी श्रेणी (कट-ऑफ – 162.00) के अंतर्गत मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे हैं और प्रतिवादियों ने उक्त श्रेणी के अंतर्गत उक्त परीक्षा स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण कर ली है।

13.5 अशोक कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य **(2017) 4 एससीसी 357** में उल्लिखित उक्ति पर विचार करते हुए, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने स्वयं किसी परीक्षा में भाग लिया है, उन्हें विलंबित चरण में परीक्षा देने से रोका जाता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत है:

"18. यह भी सर्वविदित है कि जिन अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, उन्हें उसमें निर्धारित प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी, तथा वे उस पर प्रश्न उठाने के हकदार नहीं थे। (देखें मुनींद्र कुमार बनाम. राजीव गोविल (1991) और रश्मी मिश्रा बनाम। मप्र लोक सेवा आयोग।)"

14. अतः, उपर्युक्त कारणों से, प्रतिवादियों द्वारा की गई भर्ती मनमानी और अवैधता से मुक्त है और लागू नियमों के प्रावधानों पर विचार करने/अनुपालन करने में प्रतिवादियों की ओर से कोई स्पष्ट त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

15. तदनुसार, वर्तमान याचिका गुणदोष रहित होने के कारण खारिज की जाती है। यदि कोई आवेदन लंबित है तो उसका निपटारा किया जाता है।

(समीर जैन), जे

बीएम गांधी/एस-250

अस्वीकरणः इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी